भारतीय रिज़र्व बैंक
पर्यवेक्षण विभाग (वि.क. खण्ड)
6 संसद मार्ग (क्षेत्रीय कार्यालय) पोस्ट ऑफिस सं. 67
नई दिल्ली - 110001

रजिस्टर्ड "नई दिल्ली
सं : डोस.एफ.सी.सं. 555 /05-1-3-6239 / 96-97 दिनांक : 26-11-96
पावती रसीदी डाक से

M. D. OFFICE
Date 13/12/96
Time
Despatch 2517

निदेशक

~~इण्डियन रीन्यूवल एनर्जी डैवलपमैन्ट एजेंसी लि.~~

~~ई, ईस्ट कोर्ट, इण्डिया हैबीटैट सैंटर कम्पलैक्स~~

~~प्रथम तल, लोदी रोड नई दिल्ली - 110003~~

महोदय,

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1977/
विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1977

कृपया अपना दिनांक 9-9-96 का पत्र सं. Fin/IREDA/NBFC/95-96 देखें। उसके साथ प्राप्त संस्था के अंतर्नियमों और अधिनियमों (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) तथा पंजीयक, कंपनियां, कंपनी कार्य विभाग द्वारा आपकी कंपनी को आवंटित औद्योगिक वर्गीकरण कूट सं. 801.9 से यह पता चलता है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I (सी) के अनुसार वित्तीय संस्था की श्रेणी में आती है। तदनुसार हमारे द्वारा आपकी कंपनी को अंतिम रूप से हमारी दिनांक 20 जून 1977 की यथा अद्यतन संशोधित अधिसूचना सं. डीएनबीसी 38/डी जी/एच/-77/~~डीएनबीसी 39/डी जी/एच/-77~~ प्रतिलिपि संलग्न है (के पैरा 2 (1)(जी) में दी गई परिभाषा के अनुसार ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसी कंपनियों पर लागू उक्त अधिसूचना में निहित निदेशों का अनुपालन किया जाए तथा प्रतिवर्ष कंपनी के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की एक एक प्रति उस साधारण बैठक जिसमें कि वार्षिक खाते पारित किए गए हों, के 15 दिनों के अन्दर कंपनी के कारोबार के संबंध में प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट सूचना देने वाली विवरणी सहित हमें भेज दी जाए। उपर्युक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सूचना देने वाली विवरणी सहित हमें भेज दी जाए। हम उपर्युक्त अनुसूची में निर्दिष्ट विवरणी फार्म की दो प्रतियां तथा एक नमूना हस्ताक्षर कार्ड संलग्न कर रहे हैं। आप कृपया 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार विवरणी की एक प्रति तथा विधिवत भरा गया, हस्ताक्षरित और कंपनी के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर कार्ड इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर / 30 जून 1997 के पूर्व हमें प्रस्तुत कर दें।

2. हम आपका ध्यान ऊपर संदर्भित अधिसूचना के पैरा 5 में निहित उपबंधों की ओर भी आकृष्ट करते हैं जिसमें आपकी कंपनी जैसी गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा आम जनता तथा अपने शेयरधारकों से स्वीकार की जाने वाली जमाराशियों तथा उनकी अवधि की अधिकतम सीमा पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

3. हम यह भी बताना चाहेंगे कि जमाराशियां स्वीकार करने की अधिकतम सीमा अवधि/ब्याज/ दलाली संबंधी प्रतिबंधों तथा निदेशों के अन्य विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कंपनी तथा उसके प्रबंधन से जुड़े निदेशक/अधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 58 बी के साथ पठित धारा 58 जी में निर्धारित दंड के भागी होंगे।

1. आपका ध्यान हमारी दिनांक 20 जून 1977 की अधिसूचना के पैरा 16(1) 13(1) के उपबंधों और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए(2)(बी) के अंतर्गत जारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर बैंकिंग कंपनी(विज्ञापन)नियमावली 1977 (प्रति संलग्न) की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिनमें कुछ शर्तें दी गई हैं जिनका अनुपालन ऐसी हर वित्तीय कंपनी/विविध गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जाना है जो जनता से जमाराशि आमंत्रित करना चाहती है अथवा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देती है या उससे जमाराशि आमंत्रित करवाती है । यह ध्यान रखा जाए कि उक्त नियमों का पालन नकरने पर कंपनी और इसके प्रबन्धन से जुड़े निदेशक/अधिकारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए(6) में निर्धारित दंड के भागी होंगे ।

तथापि, यदि कंपनी किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जमाराशियाँ आमंत्रित करने की अनुमति दिए बिना जमाराशियाँ स्वीकार करना चाहती है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह हमारी दिनांक 20 जून 1977 की अधिसूचना के पैरा 16 (2)/13(2) के उपबंधों का पालन करे। ऐसा न करने पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1931 की धारा 58सी के साथ पठित धारा 58 बी में निर्दिष्ट दण्डात्मक उपबंध लागू होंगे । अध्याय 111 बी और 1V के उद्धरण संलग्न हैं ।

5. प्रसंगवश कृपया नोट करें कि यदि आपकी कंपनी कोई योजना कारोबार (स्कीम बिजनेस) करना चाहती है तो आप यह सुनिश्चित करें कि उक्त योजनाओं से इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978के उन उपबंधों का उल्लंघन न हो जिनके द्वारा किन्हीं इनामी चिट इत्यादि योजनाओं को चलाना अथवा बढ़ावा देना प्रतिबंधित है ।

6. आप यह भी ध्यान रखें कि आपकी कंपनी अपना कारोबार करते समय किसी भी स्थिती में अपने लैटरहेड साइन बोर्डस, होर्डिंग्स ,विज्ञापनों और लीफलेटस पर भारतीय रिजर्व बैंक के नाम अथवा उसके द्वारा कंपनी को प्रेषित किसी पत्र आदि की संदर्भ संख्या का प्रयोग न करें।

7. कृपया यह नोट कर लें कि आपकी कंपनी का वर्गीकरण विशुद्धत अनंतिम आधार पर है । इस वर्गीकरण की पुष्टि करने या उसके पुनः वर्गीकरण के लिए कृपया हमें अपनी कंपनी के पहले /नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ हानि खाते की एक प्रतिलिपि, या उसके अभाव में, हाल की तिथि के अनुसार उसकी वित्तीय स्थिति (आस्तियाँ और देयताएं) का एक विवरण प्रस्तुत कर दें ।

8. इसके इलावा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी कंपनी योजना कारोबार के तहत आवर्ती स्वरुप की सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार न करे।
9. कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

[signature]

कृते महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक

अनुलग्नक

1. एक अधिसूचना (संशोधनों सहित)
2. विज्ञापन नियमावली 1977 की एक प्रति
3. एक नमूना हस्ताक्षर कार्ड
4. दो रिटर्न फार्म
5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1931 के अध्याय 111 बी और V (संशोधन सहित)के उद्धरणों की एक एक प्रति

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II

SECTION 3 SUB SECTION (ii)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi,
the 17 October, 1995

NOTIFICATION

S.O. No. 843 (E). In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby specifies the following institution to be a public financial institution and for that purpose makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) vide S.O. 1329, dated the 8th May, 1978, namely:-

In the said notification, after entry 34, the following entry shall be added, namely:-

" 35. Indian Renewable Energy Development Agency Limited."

Sd/-
(R, D. Joshi)
Joint Secretary to the Govt. of India.
F.No. 10/37/94-CL.V

Foot Note:- Principal Notification was issued vide S.O. 1329 dated 8.5.1978 and subsequently amended vide by:

1. No. S.O. 330 dated 21.2.1988
2. No. S.O. 7(E) dated 3.1.1990
3. No. S.O. 238(E) dated 20.3.1990
4. No. S.O. 321(E) dated 12.4.1990
5. No. S.O. 674(E) dated 31.8.1990
6. No. S.O. 484(E) dated 26.7.1991
7. No. S.O. 812(E) dated 2.12.1991
8. No. S.O.128(E) dated 11.2.1992
9. No. S.O. 765(E) dated 8.10.1993
10. No. S.O. 98(E) dated 15.2.1995
11. No. S.O. 247(E) dated 28.3.1995